



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032022-234738
CG-DL-E-31032022-234738

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944

No. 89]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 53/2015-20

फा. सं. 01/75/171/00020/एएम-22/एफटीपी प्रकोष्ठ.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-2020 के पैरा 2.04 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी), 2015-20:

1. पैरा 1.01 में '31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगी' वाक्यांश को '30.09.2022 तक लागू रहेगी' वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. पैरा 3.20 (क) में, 'या 31.03.2022, जो भी बाद में हो, 'वाक्यांश को 'या 30.06.2022, जो भी बाद में हो' वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाता है।
3. पैरा 4.12(vi) में, पहले वाक्य में यथा उल्लिखित दिनांक '31.03.2022', को '30.09.2022' से प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** मौजूदा प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 की वैधता 30 सितंबर, 2022 तक आगे बढ़ाई गई है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 53/2015-2020

F. No. 01/75/171/00020/AM22/FTP Cell.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby makes, with immediate effect, the following amendments:

In the Handbook of Procedures (HBP), 2015-20:

1. In para 1.01, the phrase ‘shall remain in force until 31st March, 2022’ is substituted by the phrase ‘shall remain in force until 30.09.2022’.
2. In para 3.20 (a), the phrase ‘or 31.03.2022, whichever is later’ is substituted by the phrase ‘or 30.06.2022, whichever is later’.
3. In para 4.12(vi), the date ‘31.03.2022’, as appearing in the first sentence is substituted by ‘30.09.2022’.

Effect of this Public Notice: Validity of the existing Hand Book of Procedures, 2015-20 is extended upto 30th September, 2022.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of
Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.